कार्यालय, नगर पंचायत, बहादुरगंज (जिला–किशनगंज।

–: सूचना :–

शिक्षा विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0–1142 दिनांक–01.07.2019 एवं अधिसूचना सं0–2343 दिनांक–17.12.2019 के द्वारा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा–शर्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संसोधित) के नियम 6 (i) (ख) में निहित प्रावधान के आलोक में छठा चरण 2019–20 के नगर निकाय माध्यमिक /उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

उपरोक्त परिपेक्षय में शिक्षा विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0–202 दिनांक–12.02.2020 के द्वारा मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन के स्तर से नियोजन पत्र निर्गत करने तक, से संबंधित कार्यक्रम (समय तालिका) संसोधित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

(i)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	15.02.2020
(ii)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों का मिलान/जाँच	17.02.2020 से 19.02.2020 तक
(iii)	जिला परिषद एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	22.02.2020
(iv)	नियोजन ईकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	25.02.2020
(v)	अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर के बिन्दु आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र का संबंधित बोर्ड/विश्वविधालय से सत्यापन	05.03.2020
(vi)	नगर निकाय नियोजन ईकाई द्वारा काउसिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत करना।	06.03.2020

संबंधित में से चयनित अभ्यार्थी की सूची विषयवार, कोटिवार, रोस्टर बिन्दु के अनुसार प्रमाण–पत्रों की सत्यापन के बाद प्रकाशित की जायेगी। कॉन्सिलिंग तिथि – 06.03.2020 को नीचे लिखे कागजातों की मूल प्रति साथ लाना आवश्यक होगा।

साथ लाने वाले प्रमाण–पत्रों एवं अन्य कागजातों की सूची :–

1. सभी शैक्षिणिक प्रशैक्षिणक का प्रवेश पत्र, पंजीयन, अंक पत्र, मूल प्रमाण–पत्र एवं STET का प्रवेश पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र की छाया प्रति–01 सेट में (स्व अभिप्रमाणित)
2. अंतिम योग्यता वाले महाविधालय का परित्याग प्रमाण–पत्र (सी0एल0सी0)
3. जाति, EWS निवास प्रमाण–पत्र।
4. दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो जिसमें अभ्यार्थी का नाम एवं जन्म तिथि अंकित हो।
5. आवेदन पत्र का प्राप्ति रसीद।
6. अभ्यार्थी का फोटो युक्त परिचय पत्र।
7. STET का मूल प्रमाण पत्र को नियोजन ईकाई सहमति –सह– विधालय चयन के समय जमा ले ली जायेगी।
8. काउन्सिलिंग के दरम्यान अभ्यार्थियों से घोषण पत्र लिया जायेगा कि वे किसी अन्य नियोजन ईकाई में पूर्व से नियोजित नही है। साथ ही उनका शैक्षिनिक, प्रशैक्षिणक एवं शिक्षक पात्रता परिक्षा का प्रमाण पत्र सही है। गलत सूचना देने पर कानुनी कार्रवाई के लिए नियोजन ईकाई सक्षम होगा।

नोटः– नियोजन की कार्रवाई से संबंधित पूर्व में निर्गत निर्देश यथावत रहेंगें।

15/02/2020

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बहादुरगंज।

ज्ञापांक 198 /दिनांक 15.02.2020/

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, एन0आई0सी0, किशनगंज को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि सूचना को एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/02/2020

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बहादुरगंज।